# एक तरफ की बात सुनकर फैसला नही करना चाहिये

शैख मुहम्मद इशाक मुलतानी.

नोट: आप से दरखास्त है की इसे भाषा या ग्राम्मर का अदब ना समझे.

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहिम

## एक तरफ की बात सुनकर फैसला नही करना चाहिये

इमाम शाबी(रह) कहते हे कि मे काजी शुरेह के पास बेठा हुवा था कि एक औरत अपने शौहर की शिकायत लेकर आई और बयान देते वकत जारो कतार रोने लगी, मुझ पर उस्के रोने का बहुत असर हुवा, मेने काजी शुरेह से कहा अबु उमय्य इस औरत के रोने से ऐसा मालुम होता हे कि यकीनन ये बडी मजलूम हे और इसके साथ जरूर इन्साफ करना चाहिये, मेरी ये बात सुन कर काजी शुरेह ने कहा ऐ शाबी हजरत युसुफ(अलै) के भाई भी उनहे कुवे मे डालने के बाद अपने बाप के पास रोते हुवे ही आये थे.

तशरीह: एक तरफ की बात सुन कर कभी कोई राय नही कायम करनी चाहिये दोनो की बात सुनो, दोनो से खुब हालात मालुम करो, फिर फैसला करो. (तफसीर इबने कसीर)

# औलाद से गुनाह हो जाये तो तलूक तोडना नही इस्लाह की फिकर चाहिये

हजरत युसुफ (अलै) के भाईयो से जो गलती इससे पहले हुई उसमे बहुत से बडे और भारी गुनाह थे, मिसाल के तौर पर.

१. वालीद को इस बात के लिये तैयार करना कि वो हजरत युसुफ (अलै) को इनके साथ तफरीह और खेल कूद के लिये भेज दे.

२. वालिद से वादा कर के उस्के खिलाफ करना.

३. अपने छोटे भाई के साथ बे-रेहमी और सख्ती का मामला करना.

४. बुढे वालिद का इतना जियादा दिल दुखाने की भी परवाह ना करना.

५. एक बे-गुनाह इन्सान को कतल करने का प्लान बनाना.

६. एक आजाद इन्सान को जबरदस्ती और जुलम करते हुवे बेच देना.

ये ऐसे सखत और भारी जुर्म थे कि जब हजरत याकुब (अलै) पर ये बात साफ हुई कि उन्होंने झूठ बोला हे, और जान बुझकर हजरत युसुफ (अलै) को जाये किया हे तो उसका तकाजा तो ये था कि वो

अपने उन बेटो से ताल्लुक तोड लेते, या उनको निकाल देते, मगर हजरत याकुब (अलै) ने ऐसा नही किया यहा तक कि उनहे मिसर से अनाज लाने के लिये भेजा.

इससे मालुम हुवा कि अगर औलाद से कोई गुनाह या गलती हो जाये तो बाप को चाहिये कि तरबीयत करके उनकी इस्लाह की फिकर करे, और जब तक इस्लाह की उम्मीद हो ताल्लुक खतम ना करे, जेसा कि हजरत याकुब (अलै) ने किया और आखिर मे वो सब के सब अपनी गलतियो पर शर्मिदा हुवे, और अपने गुनाहो से तौबा की, हा अगर इस्लाह से मायुसी हो जाये और उनके साथ ताल्लुक कायम रखने से दुसरो के दीन का नुकसान महसूस हो, तो फिर ताल्लुक खतम कर लेना जियादा मुनासीब हे.

हवाला: एक हज़ार अनमोल मोती उर्दु से मज़मून का खुलासा लिप्यान्तरण किया गया हे.